न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

गोविन्दराम पुत्र वेलाराम जी, जाति–राजगर ब्राह्मण, निवासी–तंवरी, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही
(2) जेठमल पुत्र रावताजी, जाति–राजगर ब्राह्मण, निवासी–तंवरी, तहसील– सिरोही
(3) *ताराचंद पुत्र रावताजी, जाति–राजगर ब्राह्मण, निवासी–तंवरी, तहसील–सिरोही*
(4) *श्री निर्मल परशुराम जोशी पुत्र परशुराम जोशी,* जाति– ब्राह्मण, निवासी– ए–2002, बिल्डिंग संख्या 11, निलयोग समुद्री टावर, खोट कुआं रोड, मलाड, ईस्ट मुम्बई

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 59/2022

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शाह, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री दिलीप राजुरोहित, अप्रार्थी संख्या– 4 (एक) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या– 1 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 04 नवम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह स्थगन प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार,, कालन्द्री ग्राम तंवरी, पटवार हल्का तंवरी के खसरा संख्या 1095 व 1096 कुल किता 2 रकबा 6.0500 हेक्टेयर भूमि के स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड आदेश क्रमांक:भू.अ./2022/169–171 दिनांक 24.5.2022 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई अपील के साथ साथ अप्रार्थीगण विरुद्ध प्रस्तुत कर ताफैसला अपील उक्त आपसी सहमति बंटवाड आदेश की पालना एवं क्रियान्विति को ताफैसला अपील स्थगित किये जाने एवं विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा एवं अप्रार्थी संख्या– 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–5 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु मूल अपील प्रकरण में अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया ने वकालतनामा पेश करने हेतु Undertaking दी।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने उक्त बंटवाड प्रस्ताव को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की है, जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पुरी पुरी आशा है। यह कि मौजा राजस्व ग्राम तंवरी, पटवार हल्का तंवरी, जिला सिरोही के खसरा संख्या 1095 व 1096 कुल किता 2 रकबा 6.05 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या–5 व उसकी मा[illegible] व बहनों का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक अधिकार व [illegible] अप्रार्थी संख्या–5 की माता नाजुबाई का

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही

1/2 वां हिस्सा नाजुबाई ने अपने जीवनकाल में निष्पादित वसीयतनामा के जरिये अपनी पुत्री प्रत्यर्थी संख्या-5 चुनीबाई को दी थी। नाजूबाई की मृत्यु के बाद 1/6 हिस्से की खातेदार चुनीबाई व 1/6 हिस्से की खातेदार चुनीबाई की दो बहनों का हिस्सा 1/12 – 1/12 था। चुनीबाई के 1/18 वें हिस्से के संबंध में विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या- 4 का 1/3 हिस्सा विक्रय विलेख के जरिये दर्ज हुआ। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने दिनांक 22.5.2022 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर आपसी सहमति से भूमि का विभाजन करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रत्येक खातेदार ने आपसी सहमति से विभाजन करने की मौखिक सहमति प्रदान की तथा विभाजन किस प्रकार किया जाना है तय किया गया। मौखिक सहमति के अनुसार खसरा संख्या 1095 किस्म चाह में कुआं व उसवके पास ही देवस्थान चाही की जमीन में मंदिर बना हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा रखा जाना तथा सभी के शामलाती हिस्से में रखा जाना तय किया गया था। उक्त विभाजन के संबंध में मौखिक तय अनुसार कागजात बनाने हेतु पटवारी को कहा गया था, लेकिन पटवारी ने छलपूर्वक खसरा संख्या 1095 व 1096 का गलत विभाजन स्टाम्प तैयार किया गया। प्रार्थी के वृद्धावस्था का अनुचित फायदा उठाकर धोखे से उस पर हस्ताक्षर करवाये तथा अन्य कागजात पर भी हस्ताक्षर करवाये। उसके बाद लालाराम मेघवाल, हल्का पटवारी द्वारा कहा कि अब विभाजन हो जायेगा। पटवारी तथा अन्य सहखातेदारान ने विभाजन के बारे में प्रार्थी को नही समझाया। पटवारी हल्का ने दस्तावेज नायब तहसीलदार, कालन्द्री के समक्ष प्रस्तुत कर विभाजन के संबंध में आदेश जारी करवा दिया। कुआं व मंदिर की भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा नही रखा गया है तथा न ही उक्त सम्पति पर आने जाने हेतु कोई रास्ता ही रखा गया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अनुचित लाभ पॅहुचाने के आशय से प्रार्थी के पीठ पीछे गलत कार्यवाही की गई है। खसरा संख्या 1096 की भूमि में भी प्रार्थी का कब्जा काश्त पूर्व दिशा की तरफ तथा उसके लगती जमीन पर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 का कब्जा है तथा पश्चिम दिशा में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का कब्जा काश्त है, खसरा संख्या 1096 का विभाजन ही गलत किया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने मौके पर आकर प्रार्थी का कुआं व मंदिर में हिस्सा नही होने के संबंध में जानकारी देने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि कुआं व देवस्थान चाही की भूमि में मंदिर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हिस्से में रखी गई जिस पर प्रार्थी द्वारा एतराज किया गया तथा प्रार्थी के साथा धोखा होने की जानकारी होने पर तुरन्त ही अधिवक्ता नियुक्त उप तहसीलदार, कालन्द्री व तहसीलदार को नोटिस प्रेषित कर विभाजन गलत होने से आपसी सहमति के आधार पर किये गये विभाजन के आधार पर नामानतरकरण नही करने हेतु सूचित किया। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने पटवारी हल्का व अन्य राजस्व अधिकारियों से मेलमिलाप कर आनन फानन में नामान्तरकरण दर्ज करवा दिया तथा उसके बाद अप्रार्थी संख्या 4 ने भूमि का विक्रय भी कर दिया। नायब तहसीलदार, कालन्द्री के समक्ष प्रार्थी कभी भी उपस्थित नही हुआ तथा न ही स्वीकृत प्रस्ताव में कभी सहमति जाहिर की है। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के घर पर आकर मौखिक सहमति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव नही बनाकर गलत प्रस्ताव बनाकर बिना जानकारी के प्रार्थी के साथ छल कर विभाजन विलेख पर बिना जानकारी दिये प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये तथा इस विभाजन प्रस्ताव को उप तहसीलदार, कालन्द्री से स्वीकृत करवा लिया, जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरित प्रभाव पड रहा है। धारा 53(2)(i)(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार आपसी सहमति से विभाजन हेतु पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन करार किया जाना आवश्यक है तथा करार का निष्पादन कर उसे तस्दीक करवाया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया विभाजन करार पर छलपूर्वक बिना प्रार्थी जानकारी दिये प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गये है जिसे नोटेरी या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा तस्दीक नही किया गया है, जिससे कानूनन करार वैध नही होते हुए भी बिना जांच किये ही बंटवाड आदेश स्वीकृत किया गया है, जो गलत है। विभाजन हेतु तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर नियम 18, नियम 19, नियम 21 राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1956 के कार्यवाही कर विभाजन किया जाना आवश्यक है। उक्त शर्त एक आज्ञापक शर्त है फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर गलत व विधि विरुद्ध विभाजन प्रार्थी को क्षति कारित करने हेतु किया गया है। यह कि नायब तहसीलदार के समक्ष विभाजन करार पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किया जाना होता है तथा उसके बाद नायब तहसीलदार नोटशीट पर विभाजन करार को पक्षकारान को समझाकर व मौके पर विभाजन कर उसके स्वीकृत किया जाना होता है, लेकिन इस मामलें में हल्का पटवारी द्वारा ही बंटवाड प्रस्ताव उप तहसीलदार, कालन्द्री को प्रस्तुत किये गये, जिसे उप तहसीलदार, कालन्द्री ने स्वीकृत कर कानूनन भूल की है। यह कि अप्रार्थी संख्या–4 द्वारा भूमि का अन्य 6 व्यक्तियों को विक्रय कर दिया एवं उन 6 व्यक्तियों ने भूमि का आवासीय प्रयोजन रुपान्तरण करवाकर भूखण्ड बेचने के फिराक में है। यदि भूखण्ड बेच दिये गये तो प्रार्थी को बहुविवाद में उलझना पडेगा तथा प्रार्थी के अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जोयगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे हैं एवं सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त बंटवाड प्रस्ताव की क्रियान्विति एवं पालना को ताफैसला स्थगित रखने एवं विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने खसरा संख्या 1095 व 1096 कुल किता 2 रकबा 6.0500 हेक्टेयर भूमि का आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड कर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर उप तहसीलदार, कालन्द्री को प्रस्तुत किये जिसे उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा नियमानुसार स्वीकृत किया गया। आपसी सहमति का बंटवाडा उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा तस्दीक किया गया है एवं हल्का पटवारी द्वारा खातेदारों की पहचान की गई है। आपसी सहमति के बंटवाड के विरुद्ध काननून अपील प्रस्तुत नही की जा सकती है। यदि कोई छल हुआ है तो प्रार्थी फौजदारी मुकदमा करता, लेकिन प्रार्थी ने ऐसी कोई कार्यवाही नही की है। यह कि प्रार्थी ने सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया है जो सहायक कलक्टर न्यायालय, सिरोही में विचाराधीन है। इस कारण से इस न्यायालय को अपील की सुनवाई करने का अधिकार नही है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–4 के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या– 5 व उसकी दोनों बहनो दरिया बाई व तुलसीबाई से खसरा संख्या 1095 व 1096 से उनके सम्पूर्ण 1/9 हक हिस्से की कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 03.12.2021 को रूपये 21,00,000/– अक्षरे इक्कीस लाख रुपये प्रतिफल राशि अदा कर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। जिसका नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया तत्पश्चात् प्रार्थी व क्रेता निर्मल व अन्य सहखातेदारों (अप्रार्थी संख्या 2 से 4) ने आपसी सहमति से इस कृषि आराजी का आपस में बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव उप तहसीलदार, कालन्द्री को प्रस्तुत किये, जिन्हें उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा तस्दीक कर नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। उसके खसरा संख्या 1095 व 1096 की भूमि के नये खसरा संख्या आवंटित हुए। उसके बाद अप्रार्थी संख्या–4 ने उसके हक हि[illegible] जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से अलग अलग भागों में विक्रय कर [illegible] 6 व्यक्तियों ने उस भूमि का तहसीलदार, सिरोही से आ[illegible] करवा लिया है,

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. [illegible]
सिरोही (राज.)

जिनको प्रार्थी ने जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है, जबकि उक्त 6 व्यक्तियो के हित प्रभावित हो रहे है। यह कि अप्रार्थी संख्या–5 ने श्रीमती नाजूबाई पत्नि शिवराम जी पुरोहित द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर अपने हिस्से की घोषणा करवाने एवं विक्रय विलेख को निरस्त करवाने हेतु एक दीवानी वाद माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसके दीवानी मूलवाद संख्या 06/2022 है। इस दीवानी मूल वाद संख्या 06/2022 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा दिनांक 16.08.2022 को इस आधार पर खारिज किया है कि प्रार्थीया जब तक सक्षम राजस्व न्यायालय से अपने हक हिस्से की घोषणा नहीं करवाती, तब तक प्रार्थीया को इस विक्रय विलेख को चुनौती देने का कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि प्रार्थी ने सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, सक्षम राजस्व न्यायालय में विभाजन व हक अधिकारों की घोषणा के संबंध में नियमित राजस्व वाद के विचाराधीन रहते इस न्यायालय को आपसी सहमति के बंटवाड प्रस्ताव के विरुद्ध अपील सुनने व नये सर बंटवाडा करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी को अपने हक अधिकारों का निर्धारण सक्षम राजस्व न्यायालय से करवाना चाहिये। आपसी सहमति के बंटवाड आदेश के विरुद्ध अपील नही की जा सकती है। यदि प्रार्थी के साथ कोई छल हुआ होता तो प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही अवश्यक करता, लेकिन प्रार्थी ने ऐसी कोई कार्यवाही नही की है। यह कि बंटवाड होने के बाद बीच में रास्ता तरमीम हो जाने से भूमि की कीमत में वृद्धि होने के कारण प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है तथा न ही अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अपील व स्थगन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम तंवरी, पटवार हल्का तंवरी के खसरा संख्या 1095 व 1096 की भूमि में अप्रार्थी संख्या–5 व उसकी दोनों बहनों दरिया बाई व तुलसीबाई द्वारा उनका सम्पूर्ण हक हिस्सा 3/9 अर्थात् 2.0167 हेक्टेयर भूमि का जरिये पजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 03.12.2021 के द्वारा श्री निर्मल परशुराम पुत्र परशुराम जी, जाति– जोशी, निवासी– ए–2022 बिल्डींग नं. 11 निलयोग समुद्री टावर, खोट कुआ रोड, मलाड, वेस्ट मुम्बई को कीमतन विक्रय किया गया। जिस पर खसरा संख्या 1095 व 1096 की उक्त क्रय शुदा कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में उक्त श्री निर्मल परशुराम के नाम से दर्ज हुई। उसके बाद खसरा संख्या 1095 व 1096 कुल किता 2 रकबा 6.0500 हेक्टेयर के संयुक्त खातेदार उक्त निर्मल परशुराम, गोविन्दराम पुत्र वेलाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– तंवरी, जेठमल पुत्र रावताजी, जाति– पुरोहित, निवासी– तंवरी व ताराचंद पुत्र रावताजी, जाति– पुरोहित, निवासी– तंवरी ने खसरा संख्या 1095 व 1096 कुल किता 2 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि रकबा 6.0500 हेक्टेयर का आपसी सहमति से बंटवाड कर विभाजन इकरारनामा उप तहसीलदार, कालन्द्री को प्रस्तुत किया, जिसे उप तहसीलदार, कालन्द्री ने स्वीकृत कर आपसी सहमति बंटवाड आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/169–171 दिनांक 24.5.2022 को जारी किया गया है। इस विभाजन इकरार नामा पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के हस्ताक्षर है एवं बतौर गवाह हिमाराम पुत्र मंछाराम पुरोहित एवं अशोक कुमार पुत्र धरमाजी पुरोहित के हस्ताक्षर किये हुये है तथा पहचानकर्ता में हल्का पटवारी, तंवरी के हस्ताक्षर है। उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति का बंडवाड प्रस्ताव स्वीकृत होने [illegible] राजस्व रेकर्ड में उक्त निर्मल परशुराम ने नाम से खसरा संख्या 1954/[illegible] रकबा 2.0007 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:24 IST
Reason: SelfAttested

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हुई। श्री निर्मल परशुराम जोशी द्वारा अपने हक हिस्से की उक्त खातेदारी कृषि भूमि का अलग अलग भागों में अन्य 6 व्यक्तियों को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.6.2022 के द्वारा कीमतन विक्रय कर दिया। उसके बाद राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1955/1954 रकबा 0.3564 हेक्टेयर भूमि अरविन्द कुमार पुत्र प्रभुराम, जाति–माली, निवासी– गुलाबगंज के नाम से, खसरा संख्या 1960/1954 रकबा 0.2984 हेक्टेयर भूमि ईश्वरसिंह पुत्र बलवंतसिंह सोढा, जाति– राजपूत, निवासी– सोठावास मण्डाल, लाखणी, बनासकांठा के नाम से, खसरा संख्या 1959/1954 रकबा 0.3295 हेक्टेयर भूमि सुरेश कुमार पुत्र धनराज त्रिवेदी, जाति–त्रिवेदी के नाम से, खसरा संख्या 1956/1954 रकबा 0.3505 हेक्टेयर श्री अर्जुनसिंह पुत्र वरदसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– वडवज के नाम से, खसरा संख्या 1957/1954 रकबा 0.3482 हेक्टेयर भूमि श्री इन्द्र सिंह पुत्र हडमत सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– निम्बज के नाम से एवं खसरा संख्या 1958/1954 रकबा 0.3177 हेक्टेयर भूमि महन्द्र कुमार पुत्र देसाराम, जाति– पुरोहित, निवासी– मण्डवारिया के नाम से दर्ज हुई। तत्पश्चात् उक्त 6 व्यक्तियों ने क्रय शुदा भूमि का राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ तहसीलदार, सिरोही से रुपान्तरण करवाया है।

इस प्रकार,, प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि खसरा संख्या 1095 व 1096 कुल किता 2 रकबा 6.0500 हेक्टेयर कृषि भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ने आपसी सहमति से बंटवाड कर विभाजन इकरारनामा स्वीकृति हेतु उप तहसीलदार, कालन्द्री को प्रस्तुत किया है, जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर है तथा पहचानकर्ता के रुप में हल्का पटवारी, तंवरी के हस्ताक्षर है तथा आपसी सहमति के विभाजन इकरारनामा को उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा स्वीकृत कर आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव आदेश जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी गोविन्दराम ने अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के विरुद्व सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विवादित भूमि के विभाजन एवं हक हिस्से की घोषणा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है, जो सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि प्रथम दृष्टया यह प्रकट है कि उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से विभाजन हुआ है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी को सक्षम राजस्व न्यायालय से ही अपने हक हिस्से की घोषणा व अधिकारों का निर्धारण करवाना चाहिये। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है तथा न ही अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:24 IST
Reason: SelfAttested